झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/94/18– 57 ,राँची/दिनांक: 09/07/2019

NEET (UG) -2019 परीक्षाफल आधारित संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची से एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S.) बी.डी.एस. (B.D.S.) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों (Ayush-UG Courses) में दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन के निमित्त साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित अति आवश्यक सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या जे.सी.ई.सी.ई.बी. 94/18–50 दिनांक 03.07.2019 के द्वारा NEET (UG)- 2019 परीक्षाफल आधारित संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची में शामिल अभ्यर्थियों का एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों में नामांकन के निमित्त दिनांक–05.07.2019 को आयोजित प्रथम् साक्षात्कार में दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित सीटों पर अनुशंसा उनके निर्धारित योग्यता में विरोधाभास होने के कारण स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची से स्पष्ट मार्ग–निर्देश प्राप्त होने तक के लिये स्थगित कर दिया गया था।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–9/नामांकण–02–05/17–281(9) दिनांक 08.07.2019 द्वारा पर्षद को दिये गये मार्ग–निर्देश के आलोक में दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन की अनुशंसा हेतु दिनांक–12.07.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से साक्षात्कार आयोजित किया गया है जिसमें NEET (UG)- 2019 परीक्षाफल के आधार पर संशोधित एवं अंतिम रूप से जारी राज्य मेधा–सूची के अंतर्गत P.H. category के तहत आने वाले सभी अभ्यर्थीगण भाग लेना सुनिश्चित करें।

साक्षात्कार "BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA द्वारा निर्गत संशोधित अधिसूचना सं0–34 (41)/218–मेड/170045 दिनांक–04.02.2019 के परिशिष्ट– "ज" में उल्लेखित "एम0बी0बी0एस0 में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अर्न्तगत विशिष्ट विकलांगताओं वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशा निर्देश" में अंकित प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

पूर्व में पर्षद द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–14/आ0नी0–04–05/2016का0–2249/राँची दिनांक–03.04.2018 से निर्गत संकल्प के आलोक में दिनांक–04.07. 2019 को विभिन्न निःशक्तता प्रवर्गो के लिये निर्धारित सीटों एवं इसके कम में एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में विनियमन से संबंधित निर्गत आदेश को एतद् द्वारा विलोपित करते हुए P.H. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के पत्रांक–9/नामांकन–02–05/17–281(9) दिनांक–08.07.2019 के आलोक में सीटों का आवंटन की जायेगी। उपरोक्त अंकित संशोधन के अलावे विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/94/18– 50 ,राँची/ दिनांक: 03/07/2019 से प्रकाशित अन्य सभी शर्त्ते एवं निदेश यथावत रहेंगे।

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त विज्ञापन (जे.सी.ई.सी.ई.बी. 94/18–50 दिनांक 03.07.2019) की कंण्डिका–4 में अंकित मूल प्रमाण–पत्रों/ दस्तावेजों जो उन पर लागू हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

(दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक